


प्रस्तुति 2 (नियम 11 (4) दोषेष)



## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

द्रवणावः-

फैक्सः-

ई-मेलः-

क्रमांक/261721394/स्कूल आड.डी. - 9788

दिनांकः-

प्रति.

प्रबंधक,

(DELHI INTERNATIONAL SCHOOL, INDORE)

दिव्यतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की घारा 18 के प्रयोगन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

नहींटवा/नहोदया,

आपके प्राचेदन यह दिनांक 17/06/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राप्तवार्ती पत्र द्वयवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - DELHI INTERNATIONAL SCHOOL, INDORE, JAWAHAR TEKRI, DHAR ROAD, INDORE, MP की कक्षa Nursery से कक्षa द्वारा तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वाक्षरता निम्नलिखित बातों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- न्यूनतम विस्तारित नहीं होनी तथा कक्षa 8 से आगे की मान्यतावंशेष्वद्वाता की ओर बालवाचन किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपर्योग का पालन करता।
- स्कूल, उपर उठाता की सीमा के बचित सम्मुख तथा कमांडर वर्ग के बालकों को कक्षa 1 में न्यूनतम 25 वर्तिशत प्रवेश देता। उस द्वारा मैं, स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हूं तो इसने प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देता हूं। इस रूप में उसके प्रारंभिक आवर्ती व्याय की पूरी करते हैं तो इस जकार प्रारंभिक आवर्ती समायता या अनुदान भास होता है किंतु यह न्यूनतम पद्धतिसंपत्ति प्राप्तिशत के अधीन होता चर्हते कि जहाँ स्कूल पूर्ण स्कूल (पूर्ण स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की घारा 12 की उपरांधा (1) के छण्ड (क) से (ग) के उपर्योग प्रिस्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- ऐरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल की अधिनियम की घारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिशूलि की जाएगी तथा ऐसी प्रतिशूलि प्राप्त करने के लिए स्कूल को पूर्ण के द्वारा खाता उपलब्ध कराना होगा।
- होस्टलटी/स्कूल कोई भी कंपिटेशन फीस जा संकेत नहीं करेगा तथा बालक या अधिकारी के साथ किसी छात्रवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक की परेश द्वारा से दृक्कर नहीं करेगा-
  - (क) आच्यु के स्कूल के अभाव में;
  - (ख) दौदि प्रवेश के लिए विहित की गंडि विस्तारित कालावधि के पर्याप्त ऐसा प्रवेश चाहूं नह्या है;
  - (ग) इम्. जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - कि निःशुल्क में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षa में रोका या निष्क्रमित नहीं किया जाएगा;
  - कि निःशुल्क बालक को पारिदीक या आवधिक रूप से भ्रातिशूल नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को ओर शोर्ड परोता उत्तोर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम की उपर्योग के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती भी जाएगी; बताते कि बालमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के पारम्पर होने पर न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 दर्ज की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहंता भास करनी होगी;
  - शिक्षकों को अधिनियम की घारा 24(1) के अधीन विनियोग करने का पालन करना होगा;

Signature valid

Digitalized by RAJENDRA KAVANI राजेंद्र कवानी दीजिटैट एडिंग की गतिविधिये में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेनी।  
 Date: 14/11/2019  
 Reason: Signature of Principal  
 Location: N/C

जाएगा।


Report Generated from [www.educationportal.mpr.gov.in/](http://www.educationportal.mpr.gov.in/) Date : 14/11/2019

Page 1 of 2

For DELHI INTERNATIONAL SCHOOL,



Secretary

  
 Principal  
 Delhi International School  
 INDORE

- \* स्कूल यद्या अधिनियम की धारा 19 ने निमित्त स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम नियमण के समय स्कूल में उपलब्ध तुलियां निम्नानुसार पाई गयी-

सूचियाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
स्कूल के मानक की विवरण	स्कूल के मानक	स्कूल के मानक
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	871200	871200
स्कूल का निश्चित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	100000	100000
घोल मिट्टी का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	370260	370260

#### अधिसंरचना का विवरण

क्रम	Rooms as per SITE	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
कक्ष आठवीं तक उपर्योग में आ रहे कक्षों का कल	61	500	61
कार्यालय कक्ष-काह-भवनकर कक्ष-काह-प्रधानालयापक कल	3	400	3
भवनालय-काह-भवनकर	5	3000	5

#### अन्य सुविधाएँ

	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
कक्ष सभी सुविधाओं तक पहुंच का प्राप्त होता है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
पठन पाठ सामग्री (हस्ताक्षित सूची अपलोड करे)	हाँ	हाँ
घोलकूद एवं घोल उपकरण (हस्ताक्षित सूची अपलोड करे)	हाँ	हाँ
पुस्तकों की संख्या	12000	12000
पढ़िकाएं/सनाधार चड़	15	15
नियजित सुविधा का भवन	Tube Well	Tube Well
पेयजल सुविधा की संख्या	90	90
शीधालय का प्रकार (शीर्षीय/परिच्छी/मध्यी)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
लड़कों के लिए पृथक शीधालयों की संख्या	50	50
लड़कियों के लिए पृथक शीधालयों की संख्या	24	24
विज्ञान वर्द्धक के लिए उपयुक्त शीधालयों की संख्या	1	1
स्व. अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- \* ऐसे संपर्कित किए जाएंगे तथा घार्टेड एकाउन्टेंट व्याया सत्यापित होंगे और उचित संख्या विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। परंपरा नियमों के विवरणों की एक बात प्रतिवर्ष जिला सिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- \* आपकी स्कूल का नाम्बर कोड नम्बर 261721394, एवं डाइस्कोड (DISE) 23260513708 है। इस कार्यालय के साथ पञ्चाधार में यह कोड नम्बर सदर्भित किए जाएं।
- \* ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्याया प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्याया समय-समय पर अपेक्षित वी जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन वी कमियों को दूर करने के लिए भव्य मान्यता की गती की नियन्त्र प्रृति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- \* अन्य हरी संलग्न उपायों "लीज" के अनुसार होंगी।
- \* अधिनियम एवं नियम के उपर्योगी और नाम्यता की गती का उल्लंघन याए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता दापस ले सी जाएगी।

अवधीय,

जिला सिक्षा अधिकारी

जिला INDORE

नियमदेश



Secretary

Principal  
Delhi International School  
INDORE

Cly.